आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
4/12/20	अनुज्ञप्ति अपील वाद सं0– 12/2019–20 राजेन्द्र पासवान बनाम झारखण्ड राज्य **आदेश** यह अपील वाद आवेदक राजेन्द्र पासवान, वल्द–मिठू पासवान, ग्राम–मझिगांवा, टोला–नवडीहा, थाना–भवनाथपुर, जिला गढ़वा की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा वाद संख्या 07/19 में दिनांक 22.8.2019 को अनुज्ञप्ति संख्या 17/98 रद्द करने हेतु पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील आवेदन पर प्रारंभ किया गया है। अपीलार्थी का अपील आवेदन में कहना है कि जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उन्हें अनुज्ञप्ति संख्या 17/1998 निर्गत है जिसका वे समय–समय पर नवीकरण कराते रहें हैं। अरूण राम द्वारा किया गया शिकायत कि माह अक्टूबर 2018, दिसम्बर 2018, अप्रैल 2019 एवं मई 2019 का राशन वितरण नहीं किया गया है एवं किरोसीन तेल का दर 55/–रू0 प्रति लीटर तथा चावल 1.50/–रू0 प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री किया जाता है, के आधार पर दिनांक 03.6.2019 को अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए अपीलार्थी से कारण पृच्छा की मांग की गई थी। अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट करते हुए कि अंत्योदय अन्न योजना का आवंटन अक्टूबर 2018 का नहीं मिला था, दिसम्बर 2018 एवं अप्रैल 2019 का आवंटन कम मिला था फिर भी प्राप्त आवंटन को लाभूकों के बीच वितरित कर दिया गया था तथा जो लाभूक राशन नहीं ले पाये थे, उनका भण्डार में उपलब्ध था। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज शिकायत पर तीन बार जाँच कराया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्राप्त नहीं कराया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा बिना कोई विचार किए उनका अनुज्ञप्ति को दिनांक 22.8.2019 को पारित आदेश के तहत रद्द कर दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा सीधे माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में याचिका दायर किया गया जिसका नं0–WP(C) 6318/2019 संस्थापित हुआ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में पारित आदेश के आलोक में अपील आवेदन दायर किया गया है। अपील आवेदन में आगे उनका यह भी कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित आदेश कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से रद्द योग्य है। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज शिकायत न तो किसी वस्तु का कालाबाजारी से संबंधित है और न जन वितरण प्रणाली दुकान से किसी वस्तु का कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया है। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन कानून की दृष्टि में संधारणीय नहीं है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थी द्वारा जन वितरण प्रणाली के शर्त का उल्लघंन संबंधित तथ्य परिलक्षित नहीं होता है। इस स्थिति में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित आदेश खारिज योग्य है। अपील आवेदन में उन्होनें जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा वाद संख्या 07/2019 में दिनांक 22.8.2019 को पारित आदेश को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के साथ निम्न न्यायालय अभिलेख एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा से प्राप्त पत्र संख्या 1827 दिनांक 26.11.20 जो वाद में पक्ष प्रस्तुत करने से संबंधित है, का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौखिक समर्पण किया गया कि अपीलार्थी के	

विरूद्ध लगाया गया आरोप कि माह अक्टूबर 2018, दिसम्बर 2018, अप्रैल 2019 एवं मई 2019 का राशन उनके द्वारा नहीं दिया गया है, प्रत्येक राशन कार्ड पर 3 किलोग्राम चावल काट लिया जाता है एवं चावल तथा किरोसीन तेल निर्धारित दर से अधिक दर पर दिया जाता है, गलत एवं निराधार है। वास्तविकता यह है कि माह अक्टूबर 2018 में अंत्योदय अन्न योजना का आवंटन अप्राप्त था। उक्त अवधि में उन्हे जो भी आवंटन प्राप्त हुआ था लाभूकों के बीच वितरित कर दिया गया था और वैसे लाभूक जो नहीं ले पाये थे, भण्डार में उपलब्ध था। साथ ही अपीलार्थी द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप ही सामग्री का विक्रय किया जाता रहा है। अभिलेख के साथ सलंग्न प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, भवनाथपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह भी कहा गया कि उक्त समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि माह अक्टूबर 2018, दिसम्बर 2018, अप्रैल 2019 एवं मई 2019 में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा वितरित कर दिया गया है। तर्क में उन्होनें अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज शिकायत को निराधार बताते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा वाद संख्या 07/2019 में दिनांक 22.8.2019 को पारित आदेश को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया है। दूसरी ओर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा इस वाद में पक्ष रखने संबंधी प्रेषित पत्र में निम्न न्यायालय अभिलेख में पारित आदेश को ही अपना पक्ष मानने की बात कही गई है।

इस प्रकार अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने संबंधी समर्पित पत्र एवं निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ–साथ सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज शिकायत पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, भवनाथपुर से जाँच कराया गया। उनके पत्रांक 16 दिनांक 12.7.19 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को माह अक्टूबर 2018, दिसम्बर 2018, अप्रैल 2019 एवं मई 2019 में जो आवंटन प्राप्त हुआ था उनके द्वारा वितरित कर दिया गया है। तदनुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित आदेश में निहित तथ्य के अनुसार माह 2019 में अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्राप्त आवंटन 14.35 क्विंटल के विरूद्ध मात्र 7 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण दिखाया जाना विरोधाभाषी है। इससे स्पष्ट होता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा आदेश पारित करने के क्रम में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, भवनाथपुर द्वारा उक्त समर्पित प्रतिवेदन पर भली–भांति ध्यान नहीं दिया गया, प्रतीत होता है। साथ ही उक्त प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को माह 2018 में अंत्योदय अन्न योजना के तहत आवंटन अप्राप्त रहा है। इस स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन कि उन्हें अक्टूबर 2018 में अत्योदय अन्न योजना में आवंटन अप्राप्त रहने के कारण वितरण नहीं किया जा सका था, उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार जो इस वाद के अपीलार्थी हैं की ओर से समर्पित स्पष्टीकरण एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जो निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ संलग्न है, पर समूचित विचार किये बगैर आदेश पारित किया गया है। फलतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अपीलार्थी के अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा वाद संख्या 07/2019 में दिनांक 22.8.2019 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

4/12/20

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

4/12/20

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।